

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प लाखाऊ



:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लाखाऊ व भू.अ.नि. सिरसला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चूरु / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लाखाऊ तहसील चूरु व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 12 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|-------|-------------|---|--|
| 1 | लाखाऊ | 12 | गजेन्द्रसिंह पुत्र बादरसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सां लाखाऊ खातेदार | गोविन्दसिंह पुत्र बादरसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सां लाखाऊ खातेदार |
| 2 | लाखाऊ | 110 | गजेन्द्रसिंह पुत्र बादरसिंह हिस्सा 1/20 जाति राजपूत सां लाखाऊ खातेदार | गोविन्दसिंह पुत्र बादरसिंह हिस्सा 1/20 जाति राजपूत सां लाखाऊ खातेदार |

(Signature) 12/10/21
पीठासीन अधिकारी
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 97/2021

दिनांक :- 12-10-21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चूरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री गोविन्दसिंह पुत्र बादरसिंह जाति राजपूत को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। निकाही लाखाऊ

71050 1125
12-10-2021

(Signature) 12/10/21
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)